साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 14 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 5 नवंबर 2025 से 11 नवंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जलवायु संकट, जंगल, मिट्टी व महासागर के कार्बन अवशोषण की क्षमता घट रही-रिपोर्ट

नई दिल्ली। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 10 न्यू इनसाइट्स इन क्लाइमेट साइंस 2025-26 नामक एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन सिंक अब अपने चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। अब वे उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी मात्रा में अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले किया करते थे। लंबे समय से चल रहे जलवायु परिवर्तन ने उनकी क्षमता को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, न केवल प्राकृतिक प्रणाली कमजोर हो रही है, बल्कि प्रकृति आधारित कार्बन हटाने के प्रयास भी जोखिम में हैं।

रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि बड़े पैमाने पर प्रकृति आधारित कार्बन हटाने की परियोजनाएं खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के लिए चुनौती बन सकती हैं। इस कारण, केवल प्राकृतिक सिंकों और परियोजनाओं पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ तकनीकी या नवीन कार्बन हटाने की जरूरत भी है। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध के जंगल और मिट्टी अब कार्बन अवशोषित करने में पिछड़ रहे हैं। महासागर, जो कार्बन और गर्मी को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भी अब कम कार्बन अवशोषित कर रहे हैं। समुद्री लू या हीटवेव की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि हमने लंबे समय तक अपने जंगलों और मिट्टी पर भरोसा किया कि वे हमारे कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करेंगे, लेकिन उनकी क्षमता कमजोर हो रही है। इसका मतलब है कि हम वर्तमान उत्सर्जन अंतर को कम आंक रहे हैं और भविष्य में वैश्विक गर्मी की गति अधिक तेजी से बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बड़े पैमाने पर प्रकृति आधारित कार्बन हटाने की परियोजनाएं सीमित मात्रा में कार्बन अवशोषित कर सकती हैं। इन परियोजनाओं का विस्तार खाद्य उत्पादन और जैव विविधता पर दबाव डाल सकता है। इसलिए, केवल पेड़ लगाना या भूमि संरक्षण पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा। वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट्स को एक समाधान के रूप में देखा जाता है। हालांकि इन बाजारों की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनकी पारदर्शिता बढ़ाने और मानक मजबूत करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्बन हटाने की परियोजनाओं का वास्तविक जलवायु लाभ हो। रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। समुद्र की गर्मी बढ़ रही है और लू की तीव्रता अधिक हो रही है। यह मानव स्वास्थ्य, कृषि और जीवनयापन पर गंभीर असर डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भूमि और पानी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, बढ़ते तापमान से भूजल के स्तर में गिरावट आ रही है, जो कृषि और शहरी जीवन दोनों के लिए खतरा है। प्राकृतिक तौर पर कार्बन जमा करने वाले अब उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी मात्रा में अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले किया करते थे। साथ ही, बढ़ती गर्मी के कारण मच्छरों के प्रसार का दायरा भी बढ़ रहा है। इसका प्रभाव डेंगू जैसी बीमारियों पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में डेंगू के सबसे बड़े वैश्विक प्रकोप ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव डाला। बहुत ज्यादा तापमान श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रभाव डाल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग आठ करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी के चपेट में आ सकते हैं, जिससे उनके काम के घंटे 50 फीसदी तक कम हो सकते हैं। इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होगा। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान एक-दूसरे को बढ़ावा देती हैं। यह संकट को और गंभीर बनाता है। इसलिए, केवल किसी एक समाधान पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। उत्सर्जन में तेजी से कटौती- हर देश को अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रकृति की सुरक्षा और पुनर्स्थापना- जंगलों, मिट्टी और महासागरों की क्षमता को बचाना और बढ़ाना अनिवार्य है। संतुलित नीतियां और तकनीकी समाधान- केवल प्राकृतिक तरीकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तकनीकी कार्बन हटाने और प्रभावी नीति मिश्रण भी जरूरी है। प्राकृतिक तौर पर कार्बन जमा करने वाले अब उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी मात्रा में अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले किया करते थे। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि प्रकृति और बाजार अकेले जलवायु संकट को हल नहीं कर सकते। हर देश को तत्काल और निर्णायक कदम उठाने होंगे। कॉप30 जैसे सम्मेलन अब केवल वादों के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे दरवाजे पर हैं और समय अब इंतजार का नहीं।

खेत बने तालाब कई गांवों में गेहूं, मटर, प्याज की नर्सरी, आलू, लहसुन आदि फसलों के खराब होने की आशंका

रतलाम. जिले में फिर अतिवृष्टि ने खरीफ के बाद रबी सीजन की शुरुआत में भी कई किसानों की कमर तोड़ दी। पहले सोयाबीन खराबा अब लगाई प्याज नर्सरी, मटर आदि पर असमय बारिश ने पानी फेर दिया। जिले के हर विकासकंड में रात भर में 3 इंच के करीब वर्षा ने खेतों को तालाब में तब्दिल कर दिया। गेहूं, मटर, लहसुन, प्याज की नर्सरी, आलू फसल उत्पादक अन्नदाता खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था में जुटे हैं, ताकि बीज खराब न हो। वैसे मौसम विभाग ने 1 नवंबर तक बारिश अलर्ट जारी कर रखा हैं।

मंगलवार सुबह 24 घंटे में हर विकासखंड में 70.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई। सरतलाम ग्रामीण के रिंगनिया, चौराना आदि कई गांवों में किसानों ने बोवनी कर दी, लेकिन बीज अंकुरित होकर बाहर नहीं निकले और खेतों में पानी भर गया है, जिससे काफी नुकसानी की आंशका व्यक्त की जा रही हैं। खुलेड़ नदी किनारे के बराबर बह रही हैं, तेज बारिश के दौरान रात में खाचरौद-रतलाम मार्ग भी अवरूद्ध रहा। किसान तोफानसिंह सौलंकी, गजराजसिंह सौलंकी ने बताया कि मटर के साथ प्याज की नर्सरी आदि में भी काफी नुकसान हुआ हैं। किसानों को काफी नुकसान हुआ हैं।

14 सालों में बिना अनुमति के काटे गए 1.65 लाख पेड़

महाराष्ट्र में 2010 से 2024 के बीच वन क्षेत्रों के बाहर बिना अनुमति के 1,65,582 पेड़ काटे गए हैं। इन पेड़ों को काटे जाने के मामलों में जुर्माना भी वसूला गया है। यह जानकारी महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन पेड़ों को काटा गया है, उनमें से ज्यादातर कृषि भूमि पर मौजूद थे, जो सीधे तौर पर राज्य के वन विभाग के नियंत्रण में नहीं आते। हालांकि महाराष्ट्र में ट्री फेलिंग (रेगुलेशन) अधिनियम, 1964 लागू है, जिसके तहत पेड़ों के काटे जाने को नियंत्रित और संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग उन खेत मालिकों को अनुमति देता है, जो अपने खेतों में उगे निर्धारित प्रजातियों के परिपक्व पेड़ को वैध रूप से काटना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बिना अनुमति ऐसे पेड़ काटता है, तो विभाग जमीन मालिक पर जुर्माना लगाता है। गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने 18 मई 2024 को अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस खबर के मुताबिक, देश के कई इलाकों में खेतों से परिपक्व पेड़ों की संख्या तेजी से घट रही है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर यह कमी पांच से 10 फीसदी तक ही रही, लेकिन मध्य भारत, खासकर तेलंगाना और महाराष्ट्र में यह गिरावट इससे कहीं ज्यादा पाई गई। बता दें कि इस विषय पर डाउन टू अर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चला है कि 2018 से 2022 के बीच देश में करीब 53 लाख पेड़ खेतों से गायब हो चुके हैं। मतलब की इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ नदारद मिले। वहीं कुछ क्षेत्रों में तो हर किलोमीटर क्षेत्र से 50 तक पेड़ गायब हो चुके हैं। बता दें कि इन पेड़ों का मुकुट करीब 67 वर्ग मीटर या उससे बड़ा था। इनमें नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी (शमी), बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ शामिल हैं, जो कई तरह से फायदेमंद होते हैं। यह पेड़ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ छाया प्रदान करके पर्यावरण की मदद करते हैं। साथ ही किसानों को फल, लकड़ी, जलावन, चारा, दवा जैसे उपयोगी उत्पाद भी देते हैं। सूखने के बाद इनकों बेच कर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। इस बारे में अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में इन विशाल पेड़ों के गायब होने की वजहों की भी पड़ताल की है। इसके मुताबिक इन पेड़ों के गायब होने की सबसे बड़ी वजह खेती-किसानी के तौर तरीकों में आता बदलाव है। देखा जाए तो जैसे-जैसे किसानी के तरीकों में बदलाव आ रहा है खेतों में मौजूद इन पेड़ों को फसलों की पैदावार के लिए हानिकारक माना जा रहा है। रिसर्च के नतीजे दर्शाते हैं कि सिंचाई के साधनों में होते इजाफे के साथ विशेषकर धान के खेतों में जगह बनाने के लिए ज्यादातर पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि किसानों को लगता है कि यह पेड़ उनकी फसलों के लिए खतरा हैं। उनके मुताबिक नीम जैसे पेड़ जिनकी छाया बहुत गहरी होती वो फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

मंत्री श्री विजयवर्गीय की अध्यक्षता में अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न

इंदौर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में नगर निगम इंदौर, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एवं इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत समीक्षा बैठक एआईसीटीएसएल सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा अमृत योजना (1.0 एवं 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना (1.0 एवं 2.0), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राजस्व वृद्धि एवं जीआईएस सर्वे, फ्यूल एफिशिएंसी, एनर्जी ऑडिट एवं ऊर्जा बचत, तथा इंदौर स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही नगरीय सीमा में सम्मिलित 29 गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आरई-2 रोड के बाधक बस्तियों को हटाने एवं मास्टर प्लान की सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। शहर में निरंतर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के विषय में भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल टंकियों और वितरण लाइनों में अवैध नल कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करें। शहर की सड़कों पर रोड रेस्टोरेशन कार्य तकनीकी रूप से और गुणवत्तापूर्ण किया जाये। कटर से रोड की कटिंग की जाए, न कि तोड़फोड़ कर ब्रेकर से रोड को क्षतिग्रस्त किया जाए। अन्यथा संबंधित इंजीनियर की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, विधायक श्री मधु वर्मा, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री गोलू शुक्ला, मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक श्री एस. कृष्ण चैतन्य, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, नगर निगम आयुक्त श्री दिलीप कुमार यादव, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित झाड़े, श्री सुमित मिश्रा सहित अपर आयुक्त एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जहां भी अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, वहां के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि सामूहिक निर्णय से बेहतर परिणाम मिल सकें। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर शहर है, जो अपने नवाचारों के माध्यम से निरंतर प्रगति कर रहा है।उन्होंने कहा कि नगर निगम को अपने राजस्व में वृद्धि और व्यय में कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए रेस्टोरेशन कार्यों को तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने पर बल दिया। मंत्री श्री विजयवर्गीय द्वारा महापौर श्री भार्गव की सराहना करते हुए कहा कि महापौर द्वारा वर्ष 2040 तक की दृष्टि से नर्मदा चौथे चरण की योजना पर जो कार्य किया जा रहा है, वह इंदौर के भविष्य के लिए दूरदर्शी कदम है। बैठक में इंदौर मेट्रो के खजराना से पलासिया होते हुए बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड रूट के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह निर्णय इंदौर की आर्थिक वृद्धि और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। हम सभी मिलकर इसे सफल बनाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा कि विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित की जाये। शहर को अधिक राजस्व मिलेगा तो विकास कार्य भी गति से होंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि एमओजी लाइन क्षेत्र की रिक्त भूमि को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित करने, टीडीआर प्रक्रिया के सरलीकरण, एवं नई सड़कों में सीवरेज, जलप्रदाय व स्टॉर्म वॉटर लाइन को अनिवार्य रूप से शामिल करें। बैठक में महापौर श्री भार्गव ने कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।उन्होंने कहा कि नगर निगम के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत विज्ञापन शुल्क है, जिसके लिए प्रभावी वसूली की आवश्यकता है।इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सतपुड़ा परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था और मोबिलिटी प्लान को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैफिक इंजीनियर की नियुक्ति का सुझाव दिया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्मित मराठी कला संकुल के कार्य की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को गति लाने के निर्देश दिए।

हाईटेक एआइ तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से जलस्त्रोत को पुनर्जीवित करने की पद्धति पर प्रोजेक्ट तैयार

इंदौर. कान्ह-सरस्वती नदी कभी शहर की पहचान हुआ करती थी। हालांकि अब सिस्टम के ढीले रवैये के कारण नदी बदहाल होकर नाले का रूप ले चुकी है। अब तक 1200 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी नाले से नदी में तब्दील नहीं किया जा सका है। अब तक देखें तो नदी के बजाय जिमेदारों ने खुद का ही 'उद्धार' किया है। अब सिंहस्थ के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कान्ह-सरस्वती और शिप्रा नदी के सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रोजेक्ट बनाने को कहा। इसके लिए एआइ दक्षता वाले वैज्ञानिक ने तकनीक के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें नदी के बेस लो को बढ़ाने पर काम करने पर जोर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट राज्य शासन ने केंद्र सरकार को भेजा है। अनुमति मिलते ही जल्द काम शुरू हो जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव की एक टीम इसकी विशेष मॉनिटरिंग कर रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रोजेक्ट के तहत पूरी तरह जनभागीदारी से काम होगा, जिसमें एक-एक किमी हिस्से में कपनी काम करेगी। इसमें खर्च सीएसआर फंड के तहत वहन किया जाएगा।

मालूम हो, सिंहस्थ से पहले कान्ह नदी के सुधार पर काम करना बेहद जरूरी है। इसलिए नया प्रोजेक्ट इंदौर से ज्यादा अब उज्जैन की शिप्रा नदी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि, इंदौर में अब भी कान्ह नदी को नाला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। सांवेर रोड स्थित कई केमिकल फैक्ट्रियां निकासी मार्ग बनाकर कान्ह में रसायन युक्त पानी छोड़ रही हैं। इससे और ज्यादा नदी बदहाल हो गई है। सांवेर के आसपास के परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि नदी में आने वाला पानी इस्तेमाल करने पर फसल खराब हो रही है। इससे एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। नदी के सुधार के लिए अब तक किए प्रयास विफल होने पर अब बेस लो बढ़ाने के लिए नई योजना तैयार की गई है।

एमआर 10 चौराहे से कुछ ही दूरी पर कैमिकल फैक्ट्री से रसायन युक्त पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी इतना ज्यादा रसायन युक्त होकर घातक बन गया है कि इसके संपर्क में आने वाले हरे पत्ते और कागज तक काले पड़ जा रहे हैं। यहां दो हिस्सों में पानी जमा है। एक हिस्से में बारिश का पानी तो दूसरे हिस्से में फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। बारिश का पानी हरा तो फैक्ट्री से निकला पानी काला दिखाई दे रहा। जमीन की आसपास की सतह भी काली हो चुकी है। इसके बाद भी प्रदूषण नियन्त्रण विभाग और नगर निगम अनजान है। सूत्रों के अनुसार, हाईटेक एआइ तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से जलस्त्रोत को पुनर्जीवित करने की पद्धति पर प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें इंदौर निगम के अफसरों को दूर रखा है। इसमें जनभागीदारी से काम होगा, जिसमें विभिन्न नामी कंपनियां सीएसआर मद से एक-एक किमी के हिस्से को अपने स्तर से दुरुस्त करेंगी। ऐसे में सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और देश के लिए बड़ा उदाहरण बन जाएगा। प्रोजेक्ट तैयार कर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार (मंत्रालय) को भेजा है। अध्ययन जारी है। अनुमति मिलते ही इस पर काम शुरू होगा। इसकी मॉनिटरिंग भी सीएम डॉ. मोहन यादव की एक टीम करेगी, जो सिंहस्थ के लिए अभी से काम करने में जुटी है।

चंबल जल बंटवारा तय, रबी सीजन में मार्च तक मिलेगा पानी

भोपाल/कोटा. चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर मंगलवार को मप्र-राजस्थान अंतरराज्यीय (सिंचाई एवं परियोजना) नियंत्रण बोर्ड की 30वीं तकनीकी समिति की बैठक हुई, जिसमें रबी सीजन के लिए जल वितरण तय किया गया। इस वर्ष चबल के बांधों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने से दोनों राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए मार्च मध्य तक पानी मिलेगा। बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता ग्वालियर सिंचाई विभाग के मुय अभियंता एसके वर्मा ने की, जबकि राजस्थान की ओर से सीएडी वृत्त के मुय अभियंता संदीप माथुर ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में पिछले वर्ष की कार्रवाई की पुष्टि के बाद वर्तमान जलस्तर और सिंचाई मांग पर चर्चा हुई। सीएडी के अधीक्षण अभियंता संजय सिंह ने बताया कि नहरों के सुचारू संचालन की तैयारियां पूरी हैं और मध्यप्रदेश को मांग के अनुसार नहरों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बारिश के चलते पानी की अभी डिमांड नहीं= मप्र में हालिया बारिश के चलते फिलहाल सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 28 अक्टूबर से प्रस्तावित 2000 क्यूसेक पानी की डिमांड को स्थगित की गई। इसी तरह हाड़ौती क्षेत्र में भी भारी के बाद नहरों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम में एकाएक आए बदलाव के चलते यह निर्णय लिए गए।

खातेगांव जल प्रदाय परियोजना का कार्य तेजी से जारी

परियोजना की लागत 33 करोड़ 21 लाख रुपये

भोपाल देवास जिले की खातेगांव जल प्रदाय परियोजना का कार्य एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तेजी से किया जा रहा है। परियोजना के तहत नर्मदा नदी से जल लेकर 7.9 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र में शुद्ध किया जाएगा। वर्तमान में 4.75 एमएलडी क्षमता का नया जल शोधन संयंत्र बनाया जा रहा है, जबकि 3.75 एमएलडी क्षमता का संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहा है। जल संग्रहण के लिए 1000 किलोलीटर क्षमता का नया ओवरहेड टैंक बनाया जा रहा है। साथ ही एक मौजूदा ओवरहेड टैंक का उपयोग भी किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत कुल 6 हजार 300 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है, इनमें से अब तक 3 हजार 526 घरों को जल प्रदाय नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

इस योजना से खातेगांव की लगभग 18 हजार से अधिक की आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना की कुल लागत करीब 33 करोड़ 21 लाख रुपये है और कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के पूर्ण

होने से क्षेत्र में पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा तथा नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उल्लेखनीय है कि कार्य के अंतर्गत नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन इंटेक वेल का कार्य भी पंप के फ्लोर लेवल तक पूर्ण होकर एपोर्च ब्रिज का कार्य जारी है। वहीं खातेगॉव नगर परिषद के पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जल शोधन संयंत्र के विभिन्न घटकों का निर्माण भी तेज गति से जारी है। नेमावर इनटेक वेल से खातेगॉव तक रॉ वॉटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

एनजीटी का बड़ा आदेश- स्कूलों और घरों में एस्बेस्टस के उपयोग पर कसेगी लगाम

एनजीटी ने सरकार से स्कूलों, घरों और इमारतों में एस्बेस्टस शीट्स के इस्तेमाल की समीक्षा करने के साथ श्रमिकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियां और नियम बनाने का निर्देश दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एस्बेस्टस के खतरों को देखते हुए स्कूलों और घरों में इसके उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मजदूरों की सुरक्षा के लिए पीपीई का उपयोग अनिवार्य किया गया है और एस्बेस्टस कचरे के निपटान के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। एस्बेस्टस से बनी सीमेंट की छतों और अन्य एस्बेस्टस युक्त सामग्री से होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 30 अक्टूबर 2025 को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य मजदूरों, उनके परिवारों, संपर्क में आने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों और ऐसे भवनों में रहने या काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहां एस्बेस्टस युक्त सामग्री का उपयोग हुआ है। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि नियोक्ताओं को मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने होंगे जैसे एस्बेस्टस के स्तर का आकलन करना, खतरनाक क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना, चेतावनी संकेत लगाना, उचित वेंटिलेशन सिस्टम और ग्रीन बेल्ट जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं करना ताकि हवा में एस्बेस्टस की मात्रा कम हो सके। साथ ही, मजदूरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग अनिवार्य किया जाए। स्कूलों में एस्बेस्टस के संपर्क से बचाव के लिए एनजीटी ने निर्देश दिया है कि एस्बेस्टस की छतों को संभालने, लगाने या हटाने के दौरान निर्माता के निर्देशों का पालन किया जाए। इसके साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अनुशंसित उपकरणों का उपयोग किया जाए और सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए छतों की सही सीलिंग की जाए तथा सुरक्षा उपायों का पालन कर कम से कम कचरा उत्पन्न किया जाए। अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, समितियों और स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे स्कूल भवनों की नियमित जांच करें, जिनमें एस्बेस्टस शीट या सामग्री लगी हो। इसका उद्देश्य उनकी स्थिति का आकलन करना और जरूरत पड़ने पर मरम्मत या बदलाव सुनिश्चित करना है। एस्बेस्टस कचरे के परिवहन और निपटान के लिए एनजीटी ने सख्त नियम तय किए हैं। कचरा लीक-प्रूफ कंटेनरों (विशेष बैग या ड्रम) में ले जाया जाए, और यदि कंटेनर क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत उसे दोबारा पैक किया जाए। इसके लिए अधिकृत निपटान साइट्स बनाई जाएं और कचरा ढंके हुए वाहनों से ही वहां पहुंचाया जाए ताकि धूल का उत्सर्जन न हो। इन वाहनों पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि उनमें एस्बेस्टस युक्त कचरा है। इसका

निपटान केवल लाइसेंस प्राप्त अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर किया जाए, जो खतरनाक कचरे के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों। इन स्थलों पर जलरोधी परतें, निकासी प्रणाली और पर्यावरण निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रदूषण और रिसाव से बचा जा सके। एनजीटी के न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह छह महीनों के भीतर एस्बेस्टस से जुड़े सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करे। इसके बाद मंत्रालय को स्कूलों, घरों और अन्य भवनों में एस्बेस्टस युक्त सीमेंट की छतों व अन्य एस्बेस्टस सामग्री के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने के लिए नीतियां तैयार करनी होंगी। इसके साथ ही मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह एस्बेस्टस युक्त कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान के लिए कार्ययोजना और समयसीमा सहित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे। इसमें एस्बेस्टस छत और दीवार शीट, पाइपलाइन आदि के निर्माण, रखरखाव, हटाने और निपटान के सभी चरणों के लिए दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए, ताकि उनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सके। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया गया है कि वे तैयार की गई नीतियों, कार्ययोजनाओं, दिशा-निर्देशों और मानक प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सचिवों को भेजें, ताकि देशभर में इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्राकृतिक खेती अपनाएं - उप मुख्यमंत्री

रीवा बसामन मामा गौवंश वन्य विहार जिले का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र है जहां हजारों की संख्या में गौवंश संरक्षित हैं। अब बसामन मामा गौवंश वन्य विहार प्राकृतिक खेती का शोध व प्रशिक्षण केंद्र भी बन गया है जहां किसान प्राकृतिक खेती के गुण सीख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक खेती के संबंध में किसानों को दिए जाने वाले पांच दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन व परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए प्राकृतिक खेती आवश्यक है। विकसित भारत व विश्वगुरु भारत का सपना तभी पूर्ण होगा जब स्वस्थ भारत होगा। उन्होंने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन्य बिहार की ढाई एकड़ जमीन आर्ट ऑफ लिविंग के प्राकृतिक खेती करने वाले प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराई गई है जहां वह किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देकर उस जमीन में प्राकृतिक खेती से फसल उपजाकर किसानों को के सामने प्रस्तुत करेंगे। किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे अपनाएं। श्री शुक्ल ने कहा कि किसानों को अपने पास उपलब्ध भूमि में से कुछ भाग में प्राकृतिक खेती करनी चाहिए ताकि यह चर्चा बने कि रीवा जिले के किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ गए हैं और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में रीवा देश में अग्रणी जिला बने। श्री शुक्ल ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में वृहद किसान सम्मेलन का आयोजन बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में होगा जहां प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का प्रचार-प्रसार भी करें ताकि अन्य किसान भी इससे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने बताया कि मैंने स्वयं भी अपनी पैतृक भूमि के पाँचएकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक के उपयोग से जमीन काफी कठोर हो गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008